अध्याय 13

कल्याण संबंधी उपाय

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

कल्याण संबंधी उपाय

कोल इंडिया

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

01.01.2019 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरणः

कंपनी	कर्मचारियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ईसीएल	60295	4	25	53
बीसीसीएल	46881	33	17	50
सीसीएल	39581	16	10	27
डब्ल्यूसीएल	43298	28	7	85
एसईसीएल	55778	29	6	115
एमसीएल	22248	36	18	101
एनसीएल	14648	6	8	69
एनईसी	1412	0	0	1
सीएमपीडीआई	3321	4	4	20
डीसीसी	305	0	0	0
सीआईएल (मुख्यालय)	920	1	0	2
कुल सीआईएल	**288687**	**157**	**95**	**523**

1996–97 से समूह 'ग' तथा 'घ' में नियुक्तियों का ब्यौराः

वर्ष	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या	आरक्षण कोटा के अधीन भरे गए पदों की संख्या		
		वीएच	एचएच	ओएच
1996-97 से 1.01.2019	11966	135	64	210

वीएच = दृष्टि बाधित

एचएच = श्रवण बाधित

ओएच = शारीरिक निःशक्तता

एससी / एसटी के लिए आरक्षण

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है।

	सीधी भर्ती			पदोन्नति		
समूह क तथा ख पदों के लिए	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग	समूह क,ख,ग तथा घ के लिए	अनु. जाति	अनु. जनजाति
खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा (लिखित) के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर	15%	7 ½%	27%	अखिल भारतीय	15%	7 ½%
बिना लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के अखिल भारतीय आधार पर	162/3%	7 ½%	शेष 50% तक सीमित			

उपर्युक्त के अलावा, समूह ग तथा घ पदों की भर्ती में आरक्षण के संबंध में निर्देश हैं जहां राज्य–वार आरक्षण मानकों को बरकरार रखा जा रहा है। सहायक कंपनी–वार / कंपनी–वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

राज्य	कंपनी	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
झारखंड	बीसीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीसीएल	12	26	12
झारखंड	सीएमपीडीआईएल	12	26	12
प.बंगाल	ईसीएल	23	5	22
प.बंगाल	सीआईएल, कोलकाता	23	5	22
ओडिशा	एमसीएल	16	22	12
मध्य प्रदेश	एनसीएल	15	20	15
छत्तीसगढ़	एसईसीएल	12	32	6
महाराष्ट्र	डब्ल्यूसीएल	10	9	27
असम	एनईसी	7	12	27

01.01.2019 की स्थिति के अनुसार सीआईएल में समूह–वार कर्मचारियों तथा अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

समूह	कुल संख्या	अनु. जाति का %	अनु. जनजाति का %	अन्य पिछड़े वर्गों का %
क	15543	13.91	5.20	14.98
ख	20524	13.36	7.03	21.8
ग	146253	18.27	15.20	23.59
घ (सफाई वालों को छोड़कर)	103869	19.71	18.35	20.44
डी (सफाईवाला)	2498	99.36	0.32	0.00
कुल	**288687**	18.91	15.09	21.66

एनएलसीआईएल

एनएलसीआईएल अनु. जाति, अनु. जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए कई कल्याणकारी उपाय भी करती है। कारपोरेट मानव संसाधन विकास विभाग के एक भाग के रूप में अ.जा, अ.ज.जा कर्मचारियों, निःशक्त व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अल्पसंख्यकों के सेवा मामलों के निपटान हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। ये प्रकोष्ठ उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों तथा तकलीफों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करता है। इस प्रकोष्ठ के कार्यों में एक है अ.जा, अ.ज.जा, अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्त व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करना तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न प्राधिकरणों को ये आंकड़े उपलब्ध कराना। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य यह भी है कि भर्ती, पदोन्नित तथा अन्य सेवा मामलों में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध सुरक्षा उपायों से कर्मचारियों को अवगत कराया जाए तथा आरक्षण नीति पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

30 नवम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रतिशत से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

समूह	आरक्षण का लागू प्रतिशत		जनशक्ति की स्थिति			उपलब्ध प्रतिशत	
	अनु.जाति	अनु. जनजाति	कुल	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अनु.जाति	अनु. जनजाति
क	15.00	7.5	3,611	764	307	21.16	8.50
ख	16.66	7.5	261	50	15	19.16	5.75
ग	19.00	1.0	8,290	1,589	87	19.17	1.05
घ	19.00	1.0	657	136	2	20.70	0.30
सफाई (सी)	2	0	1	0	0	0.00	0.00
कुल			**12,820**	**2671**	**412**	**19.84**	**3.06**

- समयबद्ध पदोन्नति स्कीम के आधार पर, स्वास्थ्य कर्मी श्रेणी से संबंधित 2 कर्मचारियों को समूह "ग" के लिए पदोन्नत और अंतरित किया गया है।

अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप योजनाः

एनएलसीआईएल ने वर्ष 2000 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप–योजना (अतीत में विशेष संघटक योजना के नाम जानी जाने वाली) कार्यान्वित की है। चूंकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नगण्य है अतः अलग से जनजातीय उप योजना नहीं बनाई गई है और अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) अ.जा. और अ.ज.जा. जनसंख्या दोनों के लिए कार्यान्वित की जाती है।

कल्याण उपाय निम्नलिखित के इर्दगिर्द केन्द्रित हैः

- एनएलसी इंडिया लिमिटेड के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे प्रत्येक बच्चे को प्रतिवर्ष 2 सेट यूनीफार्म निशुल्क उपलब्ध कराना।
- पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को दो वर्षों में एक बार निशुल्क जूते उपलब्ध कराना।
- अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के **367** छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करना जिसमें इंजीनियरी में डिप्लोमा के लिए 12,000 प्रति वर्ष की दर से तथा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए 10,000/– प्रति वर्ष की दर छात्रवृत्तियां दी जाती है। इसमें प्रति छात्र 3750/– की होस्टल फीस शामिल है।
- एस.एस.एल.सी और एचएससी परीक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार प्रदान करना।
- जवाहर विज्ञान महाविद्यालय नेवेली में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस का प्रतिपूर्ति
- कार्यपालक विकास कार्यक्रमों जैसे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विशिष्ट रूप से अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाता है।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

अनु.जाति/अनु. जनजाति के बच्चों के लिए खेल विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित युवा व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एन.एल.सी. इंडिया लिमिटेड अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। **नेयवेली स्वास्थ्य वर्धन तथा सामाजिक कल्याण समाज (एनएचपीएसडब्ल्यूएस)** कुड्डुलोर, विल्लूपुरम और तामिलनाडु के निकटवर्ती जिलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए फायदे प्रदान करती है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के अनुसार एनएलसी इंडिया लिमिटेड नियुक्तियों में निःशक्त व्यक्तियों को 4% आरक्षण भी देती है। समूह क/ख/ग/घ में जब कभी निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद उपलब्ध होते हैं तो उनकी भर्ती की जाती है। समूह 'घ' के भीतर, समूह 'घ' से 'ग' में तथा समूह 'ग' के भीतर पदोन्नितयां शत प्रतिशत पदोन्नितियों की संभावना सहित, समयबद्ध रही है।

लोक शिकायत निवारण – अप्रैल, 2019 से नवम्बर, 2019

निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायत	प्राप्त	निवारित	प्रक्रियाधीन
ऑनलाइन पोर्टल – एमओसी	34	33	1
वी.आई.पी. संदर्भ	1	0	1
मुख्य मंत्री विशेष सेल / चेन्नई	26	25	1
जिला कलेक्टर / कुड्डालूर	99	91	8
सीएमडी को सीधे संबोधित	8	6	2
कुल	**168**	**155**	**13**

समाज कल्याणः अप्रैल, 2019 से नवम्बर, 2019 के दौरान सार्वजनिक कार्यों के लिए सहायता राशि

संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि	उद्देश्य	अभ्युक्ति
कोयला विभाग मनोविनोद क्लब सं-II	दिनांक 04.06.2019 को 30,000/– रु.	कोयला मंत्रालय के क्लब सदस्यों के लिए मनोविनोद सुविधाएं प्रदान करना	सीएमडी द्वारा अनुमोदित

मृत्यु राहत निधि

लाभार्थियों की कुल संख्या	स्वीकृत राशि
76	8,09,80,430/- रु.

एससीसीएल

कर्मचारियों के कल्याण उपायः

कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाता है तथा विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलाप अर्थात आवास एवं स्वच्छता, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक, सुपरस्पेशलिटी सेवाओं सहित चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जो प्रचलन में थी, को जारी रखा जा रहा है।

समग्र आवास सहायता 100 प्रतिशत है। कर्मचारियों के बच्चों और आस–पास के निवासियों को भी शिवा प्रदान करने के लिए 9 उच्च स्कूल, 1 पीजी एवं डिग्री कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रही हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक रूप से निःशक्त विद्या थयों के लिए 3 स्कूलों की वित्तीय सहायक प्रदान की गई है।

कर्मचारियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यालयों, खानों, अस्पतालों, अतिथिशाला, प्रशिक्षण केंद्रों आदि में आरओ प्यूरीफिकेशन प्लांट स्थापित किए गए हैं। साल भर व्यापक रूप से योगा एवं मेडिटेशन कैंप लगाए जा रहे हैं।

कर्मचारियों को खेलकूद सुविधाएं एवं आवश्यक अवसंरचना प्रदान की जा रही हैं तथा खेलकूद में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।

सेवानिवृत्त कामगारों एवं उनके पति अथवा पत्नि के लिए सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी मेडिकेयर स्कीम लागू की जा रही है।

कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत सभी कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया गया है तथा कंपनी प्रीमियम का भुगतान कर रही है।

शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए – शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से विशेष व्यवस्था (4 – मुख्य अस्पताल एवं कारपोरेट कार्यालय में एक महिला के लिए एवं एक पुरूष के लिए) के साथ शौचालयों का निर्माण करना।

सिंगरैनी सेवा समिति (एसएसएस)

समाज सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों और उन कर्मचारियों जिनकी मृत्यु उनके सेवाकाल में हो चुकी है अथवा जो चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और सामान्य रूप से कोल बेल्ट एरिया में रहने वाले लोगों सहित उनके परिवारों के हित में काम करेगा।

सामाजिक सुरक्षा स्कीमें: कर्मचारियों के लिए समाज सुरक्षा स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

योजनाओं का नाम	स्कीम के अंतर्गत राशि/लाभ
जेपीएआईएस	₹ 1,00,000/-
एफबीआईएस	₹ 10,000/-
समूह बीमा योजना	₹ 1,25,000/-
समूह सेवा लिंक्ड बीमा योजना **(जीएसएलआईएस)** अधिकारियों के लिए	₹ 2,00,000/-
अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत मेडिकेयर स्कीम कार्यपालक (सीपीआरएमएसई)	इस योजना के तहत सेवानिवृत्त अधिकारियों और उनके जीवनसाथी को चिकित्सा लाभ केवल भारत के भीतर किए गए उपचार के लिए स्वीकार्य होंगे और उन्हें निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:
एससीसीएल के गैर–कार्यपालकों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत मेडिकेयर स्कीम (सीपीआरएमएसई)	**इनडोर उपचार:** ऑनडोर ट्रीटमेंट के लिए किए गए मेडिकल खर्चों की प्रतिपूर्ति को इस शर्त पर वास्तविक आधार पर अनुमति दी जाएगी कि उपचार नगर निगम तथा अन्य सभी पीएसयू अधीन अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में किया जाए। **आउट पेशेंट/अधिवास उपचार:** पैनलबद्ध अस्पतालों में आउट पेशेंट/अधिवास उपचार का भुगतान।
को;ला खान पें'ान ;ोजना (सीएमपीएस)	पेंशन योग्य सेवा के 30 साल पूरे होने पर बेसिक का 25% +डीए
ग्रेच्युटी	₹ 20.00 लाख